संख्याः /I(2)/2016-07(1)/08/2009

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 27 जनवरी, 2016

विषयः– **आर0ई0सी0 सहायतित योजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूंजी की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1780/प्र0नि0/पिटकुल/G-1 दिनांक 23.11.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0ई0सी0 से प्राप्त हुये ऋण के साथ राज्य सरकार की अंशपूंजी के रूप में रू0 500.00 लाख (रू0 पॉच करोड मात्र) की धनराशि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0स0	योजना का नाम	अंशपूंजी के रुप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	आर0ई0सी0–प्रथम एवं तृतीय	435.48
2	आर0ई0सी0– चतुर्थ	64.52
	योग	**500.00**

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन पारेषण योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रुप में अंशपूंजी लगाई जायेगी उन योजनाओं की सक्षम स्तर से अनुमोदित लागत के सापेक्ष यथा, अनुमोदित अंशपूंजी की सीमा से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा तथा यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2016 से पूर्व शासन को समर्पित किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

.....2

(iv) उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।

(vii) योजनाओं में अंशपूंजी की धनराशि किसी भी स्थिति में निर्धारित मानकों से अधिक व्यय नहीं की जायेगी। अंशपूंजी की धनराशि लम्बे समय तक अप्रयुक्त न रहे।

(viii) परियोजनाओं को कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21, के लेखाशीर्षक 4801–05–190–06–30 निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 965 /XXVII(2)/2015, दिनांक 20 जनवरी, 2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 131 /I(2)/2016-07(1)/08/2009,तदिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओवराय बिल्डिग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
7– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।